



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102026-276749
CG-DL-E-03102026-276749

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5224]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 1, 2026/आश्विन 9, 1948

No. 5224]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2026/ASVINA 9, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026

सं. 37 /2026-27

विषय: निर्यात सुविधा के लिए लचीलापन और लॉजिस्टिक मध्यस्थता (रिलीफ) के घटक II के अंतर्गत समय सीमा के विस्तार के लिए अधिसूचना संख्या 65/2025-26 और 21/2026-27 में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 5434(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के तहत निर्यात सुविधा के लिए लचीलापन और लॉजिस्टिक मध्यस्थता (रिलीफ) से संबंधित अधिसूचना संख्या 65/2025-26 दिनांक 19.03.2026 और 21/2026-27 दिनांक 29.06.2026 में संशोधन करती है।

2. मध्यस्थता के तहत उपयोग और व्यापार लचीलापन सुविधा को बढ़ाने के लिए शिपमेंट से संबंधित वितरण अथवा ट्रांस शिपमेंट हेतु घटक II के अंतर्गत पात्रता और वैधता मानदंडों से संबंधित अधिसूचना संख्या 65/2025-26 के अनुलग्नक के पैरा 7.2 को 31 मार्च 2027 तक विस्तारित किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या 65/2025-26 दिनांक 19.03.2026 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

इस अधिसूचना का प्रभाव: भारतीय निर्यातकों की सहायता करने और पश्चिम एशिया में जारी संकट की वजह से लॉजिस्टिक्स में आ रही चुनौतियों को कम करने के लिए, ईपीएम रिलीफ मध्यस्थता के घटक II के अंतर्गत पात्रता की समय-सीमा को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है।

[फा.सं. 01/02/02/एम-27/ईपीएम/ई-45839]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2026

No. 37/2026-27

Subject: Amendment to Notification No. 65/2025-26 and 21/2026-27 for extension of timelines under Component II of Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation (RELIEF) Intervention - reg.

S.O. 5434(E).— In exercise of powers conferred under Sections 3 and 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, read with paras 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends Notification No. 65/2025-26 dated 19.03.2026 and 21/2026-27 dated 29.06.2026 relating to the Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation (RELIEF) under the Export Promotion Mission (EPM).

2. The Para 7.2 of the Annexure to Notification No. 65/2025-26 relating to eligibility and validity criteria under component II shall stand extended up to **31st March 2027** for shipments meant for delivery or transshipment under the intervention, to enhance utilization and to facilitate trade resilience.

3. All other provisions of Notification No. 65/2025-26 dated 19.03.2026 (as amended from time to time) shall remain unchanged.

Effect of this Notification: The eligibility timelines under Component II of the EPM RELIEF intervention are extended up to 31st March 2027 to support Indian exporters and mitigate logistics challenges arising out of the continuing West Asia Crisis.

[F. No. 01/02/02/AM-27/EPM/E-45839]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.